

दिनांक 01.05.2024

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। पुकार पर परिवादी उपस्थित। परिवादी के अधिवक्ता द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र कागज संख्या 90ब/1 प्रस्तुत। सुना। न्यायहित में केवल आज के लिये स्वीकृत। अभियुक्त की ओर से उनके अधिवक्ता श्री महेश बलूनी द्वारा हाजरी माफी प्रार्थना पत्र कागज संख्या 90ब प्रस्तुत। सुना। न्यायहित में केवल आज के लिये स्वीकृत।

पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 18.05.2024 को पेश हो।

(मौ० याकूब)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
पौड़ी गढ़वाल।